वित्तीय स्वीकृति

संख्या-15/2016/834/52-3-16-बजट(30)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ :दिनांक 29 मार्च, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान /अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति (आयोजनेत्तर)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके 0-4708/अ0स0क0नि0/मद पो)अनु0 /2015-16 दिनांक 9.3.2015 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र सं0-2511/52-3-15- बजट (30)/2015 दिनांक 6.11.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान /अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) के सापेक्ष ः0 05,00,000/-(रू0 पाॅच लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर पूर्व ही रखी जा चुकी है तथा रू0 05,00,000/- की धनराशि अवशेष है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 05,00,000/-(रू0 पाॅच लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये व्यय करने

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा ।

(2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि भवनों के रख रखाव इत्यादि के लिये उन्हीं मदरसों को अनुदान दिया जायेगा, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों का ही हों अथवा उनको संचालित करने वाली संस्था का हो।

(3) यह वित्तीय स्वीकृतियाँ जिलों को तत्काल आवंटित कर दी जाय तथा जिलेवार आवंटित धनराशि की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

(4) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा -समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 15.04.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय -व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06- अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदा -20-सहायता अनुदान -सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-11-550/10-2016, दिनांक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

<u>संख्या-834(1)/52-3-16-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3-मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ ।

4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।

5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ ।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7-वित्त (आय व्ययक) अनुभाग -1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।